No. 4-1(5) / 2024 - Pension
Government of India
Ministry of Communication
Department of Posts
(Pension Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi – 110001
Dated: 5th Aug, 2024

To

All Heads of Postal Circles
Chief General Manager, BD Directorate / Parcel Directorate / PLI Directorate
All Regional Postmasters General
Director, Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, Ghaziabad
All Directors/Dy. Directors of Accounts (Postal)

**Subject: Gazette Notification of India, General Statutory Rules (GSR) 410 (E) – Amendment in Central Civil Service (Pension) Rules, 2021 – reg.**

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith a copy of the Gazette Notification of India, General Statutory Rules (GSR) 410 (E) dated 16.07.2024 and subsequent Corrigendum OM No. 55/13/2023-P&PW(C) (Part 1) dated 25.07.2024 issued by Department of Pension and Pensioners' Welfare, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions regarding above mentioned subject for information and necessary compliance.

Yours faithfully,

5/8/24

(Amit Ranjan)
Assistant Director General (Pension)

**Encls.: As above**

Copy along with enclosures to:-

1. PPS to Secretary (Posts)/DG(Posts)
2. PPS to Member (Banking & DBT) / Plg.& HRD/Tech./Pers./Ops./PLI/Addl. DG(Cord.)
3. AS & FA/ Sr. DDG(PAF)
4. Secretary (PSB)/All DDsG
5. All Regional Postmasters General/GM(G)/DA(P)/DDA(P)
6. All Postal Training Centres
7. Director, CEPT Mysore-for uploading on the official website of the Dept. Of Posts
8. Guard File

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072024-255464
CG-DL-E-16072024-255464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 373] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946
No. 373] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
## (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)
## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

**सा.का.नि. 410(अ).—** राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 में और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) संशोधन नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ पच्चीस दिनों के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 50 के उपनियम (15) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(ङ) सरकारी कर्मचारी सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के समय, प्ररूप 6-क में कुटुंब के अद्यतित ब्यौरे पुन: प्रस्तुत करेगा।"

3. उक्त नियमों के, नियम 53 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) जब तक कि सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो सरकारी कर्मचारी के पेंशन मामले पर ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस) के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारी जो ई-एचआरएमएस पर हैं, केवल ई-एचआरएमएस (अधिवर्षिता मामलों में) के माध्यम से प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जो ई-एचआरएमएस पर नहीं हैं तथा अधिवर्षिता से भिन्न सभी मामलों में (अर्थात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवानिवृत्ति, राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन, अशक्तता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति तथा सेवा से पदच्युति या हटाया जाना), प्ररूप 6-क भविष्य के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।";

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में "भविष्य" के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"ऑनलाइन मोड (भविष्य/ई-एचआरएमएस)"।

4. उक्त नियमों के, नियम 57 में,-

(क) उपनियम (1) के खंड (ग) में उपखंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) प्ररूप 6-क प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को सलाह";

(ख) उपनियम (2) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(क) सरकारी कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से छह मास पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को सम्यक रूप से भरा हुआ प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेगा।";

(ग) उपनियम (3) के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमश: "प्ररूप 4 और प्ररूप 6" के स्थान पर "प्ररूप 6-क" रखा जाएगा;

(घ) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां उक्त प्ररूप पति-पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी सेवक तब तक पेंशन के प्रतिशत को सरांशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 के अनुसार ऐसे सरांशीकरण के लिए बाद में स्वयं आवेदन नहीं करता।"

5. उक्त नियमों के, नियम 58 में,-

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1) ऐसा सरकारी सेवक जो, अधिवर्षिता से भिन्न कारणों से सेवानिवृत्त हो रहा हो या हुआ हो, यथास्थिति ऐसी सेवानिवृत्ति के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के या ऐसी सेवानिवृत्ति के प्रभावी होने अव्यवहित पश्चात् कार्यालयाध्यक्ष को प्ररूप 6-क प्रस्तुत करेगा।";

(ख) उपनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) में "प्ररूप 4 और प्ररूप 6" के स्थान पर क्रमश: "प्ररूप 6-क" रखा जाएगा।

(ग) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जहां उक्त प्ररूप पति-पत्नी या कुटुंब के किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी सेवक तब तक पेंशन के प्रतिशत को सरांशीकृत कराने के लाभ का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) नियमावली, 1981 के अनुसार ऐसे सरांशीकरण के लिए बाद में स्वयं आवेदन नहीं करता।"